HRACTET USINA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2011/भाद्र 2, 1933

No. 471

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2011/BHADRA 2, 1933

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 636(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उपविधियां और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कृत्यों को विरचित करना) नियम, 2011, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 11 फरवरी, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार कितपय नियमों का प्रारूप प्रकाशित किया गया था जिसके द्वारा उससे प्रभावित होने की सम्भावना है ऐसे व्यक्तियों से उक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र आम जनता को 18 फरवरी, 2011 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और प्राप्त आपत्तियों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत् विचार कर निपटारा किया गया है;

इसलिए, अब, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (ग.क.) (ग.ख.), (ग.म.), (ग.घ.), और खंड (ग.ङ.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**—(1) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उपविधियां और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कृत्यों को विरचित करना) नियम, 2011 कहा जाएगा ।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

(1)

- 2. परिभाषाएं :— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो
 - (क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 (1958 का 24) से अभिप्रेत है;

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (घख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(ग) ''प्राधिकरण'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संरमारक प्राधिकरण से अभिप्रेत हैं;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबंध प्ररूप अभिप्रेत है:

(ड) "अनुसूची" से अभिप्राय इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

3. समर्थनकारी कर्मचारीवृद की नियुक्ति : —

केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी के प्रत्येक कार्यालय के उचित और दक्ष कार्यकरण के लिये यथाअपेक्षित, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारीवृंद की व्यवस्था कर सकेगी।

- 4. सक्षम प्राधिकारी के कृत्य :— (1) सक्षम प्राधिकारी, संरक्षित संरमारकों या संरक्षित क्षेत्रों के विनियमित या प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत, नवीकरण, संनिर्माण और पुनःनिर्माण हेतु आवेदनों को प्राप्त करेगा और उस पर कार्यवाही करेगा तथा उसे प्राधिकरण को उसके अनुमोदन के लिए अग्रसरित करेगा।
 - (2) सक्षम प्राधिकारी, प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें अभिहस्तांतरित करने के संदर्भ में मुख्य परियोजनाओं, सार्वजनिक परियोजनाओं, जनता के लिए आवश्यंक परियोजनाओं के संबंध में अनुज्ञा प्रदान करने संबंधी पुरातत्वीय निर्धारण रिपोर्ट, सर्वेक्षण या निरीक्षण रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा।
 - (3) सक्षम प्राधिकारी, विनियमित या प्रतिषिद्व क्षेत्र, संरक्षित संरमारक या संरक्षित क्षेत्र के लिए विस्तृत स्थल विन्यास तैयार करने हेतु समयबद्व कार्यक्रम तैयार करेगा।
 - (4) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक संरक्षित संरमारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र के लिए विरासत उपविधियां तैयार करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम विरचित करेगा।
 - (5) विरासत उपविधियों को समयबद्ध से पूरा करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण द्वारा पहचाने गये भिन्न भिन्न प्रवर्गों के अधीन संरक्षित संरमारकों को उनकी अवस्थिति, पुरातत्वीय अभिनाम, तुलनात्मक विश्लेषण, विशेषताओं और मूल्यों तथा ऐसी अन्य विशेषताओं के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा।
 - (6) सक्षम प्राधिकारी, संनिर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत, नवीकरण, उपविधियों, विस्तृत स्थल विन्यास, जानकारी, भवन क्षमता के संबंध में जानकारी रखने और अपने क्रियाकलापों को प्रकाशित करने के लिए वेबसाइट विकसित करेगा।

- (7) सक्षम प्राधिकारी, इन नियमों के तहत कार्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण के साथ नियमित पारस्परिक सबंघ रखेगा।
- (8) राक्षम प्राधिकारी, मरम्मत, नवीनकरण, संनिर्माण, पुनः निर्माण, प्रदान की गई अनुज्ञाओं, नामंजूर अनुज्ञाओं, पुनः विधिमान्य अनुज्ञाओं, स्थल विन्यास और विरासत उपविधियों के लिए प्राप्त आवेदनों की बाबत द्वारा डाटा आधारित रिजस्टर रखेगा।
- 5. अनुज्ञा प्रदान करने हेतु आवेदन की प्राप्ति :— सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, प्रत्येक संरक्षित संरमारक और संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्रों की मरम्मत, नवीकरण, संनिर्माण या पुनःनिर्माण की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित संकर्म के प्रारंम होने से कम से कम तीन मास पूर्व प्ररूप 1 के अनुसार सम्यक रूप से पूरा किया गया आवेदन पांच सेट में प्राप्त करेगा और उन पर कार्यवाही करेगा।
- 6. विभिन्न प्रवर्गों के अधीन आवेदनों पर कार्यवाही करना :— सक्षम प्राधिकारी, निम्नलिखित प्रवर्गों के अधीन इस प्रकार प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए विचार करेगा अर्थात् :—
 - I. बहुउद्देशीय बाघ, जल विद्युत परियोजनाएं, नगरीय, औघोगिक संयंत्र, विमान पत्तन या ऐसी अन्य परियोजनाओं जैसी व्यापक विकास परियोजनाएं जिनमें राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट निकाय या किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित संनिर्माण अंतर्वलित हैं;
 - 11. सड़क, राजमार्ग, पथ्या, नालियां, मलवाही लाइने, जल टैंक / लाइने (भूमि के ऊपर और भूमिगत दोनों), परिवहन, मेट्रो रेल (भूमि के ऊपर और भूमिगत) बस स्टेशन आदि या ऐसी अन्य परियोजानाओं जैसी लोक उपयोगी परियोजनाएं जिनमें राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, निजी या पब्लिक सेक्टर द्वारा संनिर्माण अंतर्वलित हैं। तथापि लोक निर्माण संकर्मों में, नाली और जल निकासी संकर्मों तथा सार्वजनिक शौवालयों, मूत्रालयों और ऐसी अन्य प्रसुविधाओं का अनुरक्षण, और उनकी सफाई या जन साधारण के लिए विद्युत प्रदाय और वितरण हेतु संनिर्माण या अनुरक्षण, उसका विस्तार प्रबंध या जन साधारण हेतु इसीं प्रकार की सुविधाओं हेतु उपबंध सम्मिलित नहीं हैं:
 - III. पेय जल सुविधा, शौचालय, गुमटी, शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए सुविधाएं, प्रकाशन पटल, स्मारिका की दुकानें, टिकट बूथ, सूचना पटल, अतिथि प्रसुविधा केन्द्र, विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए पार्किंग सुविधाएं या जेनरेटर कक्षों जैसी राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, गैर सरकारी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपकर्मों, स्थानीय निकायों या प्राइवेट निकायों अथवा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सुखसुविधाओं का संनिर्माण;
 - IV. किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन आवासीय भवन या ढांचे का, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा विनियमित क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य अभिकरण के स्वामित्वाधीन आवासीय भवन या ढांचे का पुनःनिर्माण;
 - V. किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन आवासीय भवन या ढांचे का, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा विनियमित क्षेत्रों में अवस्थित किसी अन्य अभिकरण के स्वामित्वाधीन आवासीय भवन या ढांचे का निर्माण,

- VI. विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर महानिदेशक के अनुमोदन से 16 जून, 1992 से पूर्व निर्मित या उसके पश्चात् संनिर्मित किसी व्यक्ति, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाद्गीन प्रतिषिद्व क्षेत्र में अवस्थित आवासीय भवन या ढांचे की मरम्मत या उनका नवीकरण,
- VII. विनियमित क्षेत्र में आवेदन के स्वामित्वाधीन भूमि में अवस्थित किसी भवन या ढांचे की गरम्मत या नवीनीकरण।
- 7. प्राधिकरण को अग्रसरित की जाने वाले आवेदन का प्रवर्ग :-- सक्षम प्राधिकारी, नियम 6 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग ।, ॥, ॥, ।०, और V के अधीन प्राप्त आवेदनों को उन पर कार्यवाही करने के पश्चात् अपनी सिफारिशों के साथ प्राधिकरण को अग्रसरित करेगा।
- 8. प्राधिकरण के सूवनाधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाने वाले और उन्हें सुनिश्चित किए जाने वाले आवेदनों का प्रवर्ग :— (1) प्रतिषिद्ध क्षेत्र में दरारों को भरने या बंद करने, भवन या ढांचे के कतिपय भागों पर पुनः प्लास्टर करने, पानी की टंकी या जल निकासी, गलवाही लाइनों की मरम्मत, आधार की नींव को मजबूत करना, खिड़िक्यों दरवाजों को बदलना, फर्श पुनः बिछाना, छत से पानी के रिसाव को बंद करना, रिसाव रोकने हेतू ऋतु सहप्रकिया, विद्युत खंभों को बदलना, पानी की पाइप लाइन बिछाना या बदलना, पानी की टंकी को टूटने से रोकना, सीढ़ियों को बदलना या उन्हें मजबूत करना, भवन या ढांचे पर राफेदी था रंग करवाने अथवा ऐसे ही अन्य संकर्म जैसी छोटी मरम्मतें का अर्तविलत नियम 6 के प्रवर्ग VI के अधीन प्राप्त आवेदनों की जाँच की जा सकेगी और प्राधिकरण को राचित करके उस पर अनुआ प्रदान की जा सकेगी।
 - (2) विनियमित क्षेत्र में अवस्थित भवन या ढांचे के नवीनीकरण या गरम्मत हेतु नियम 6 के प्रवर्ग VII के अधीन प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की जा सकेगी और सक्षम प्राधिकारी क्षारा प्राधिकरण को सूचित करके अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी।
- 9. राक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदनों पर कार्यवाही करने के प्रक्रमः— (1) सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के अधीन आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् अपने कार्यालय से अभिस्वीकृति जारी करके तुरंत अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।
 - (2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदनों की विस्तार से जॉच की जाएगी जिससे समुचित अध्ययन या पद्धतियों, जिसके अंतर्गत स्थल निरीक्षण भी है, को अंगीकृत करके संरक्षित संरमारक और संरक्षित क्षेत्र पर प्रस्तावित सन्निर्माण के प्रभाव का अवधारण किया जा सकेगा और सात दिन की अवधि के भीतर लिखित में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकेगा।
 - (3) सक्षम प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि द्वारा आवेदक को, यदि आवश्यक हो, तो पहले से स्थल निरीक्षण की सूचना दी जा सकेगी ।
 - (4) संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र और मरम्मत, नवीनीकरण, संनिर्माण या पुनिर्माण के लिए आवेदन में निर्दिष्ट भवन या ढांचा अथवा भूमि की प्रस्तावित अवस्थिति के बीच दूरी की गांप निरीक्षण पदधारी द्वारा भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारियों या किसी अन्य तकनीकी

पदधारी की सहायता से आवेदक की उपस्थिति में की जाएगी और आवेदन में उल्लिखित दूरी को अगिलिखित करेगा।

- (5) निरीक्षण पदधारी यथारिपोर्ट संरक्षित संरमारक या संरक्षित क्षेत्र को अभिलिखित करने के दौरान अधिसूचित सीमा का भी उल्लेख करेगा।
- (6) िरीक्षण रिपोर्ट के साथ भूमि का विस्तृत चित्र दर्शाते हुए आकाशीय चित्र समुचित विक्षों के साथ सलग्न किया जा सकेगा।
- (7) सक्षम प्राधिकारी इस बात की जांच कर सकेगा कि आवेदक द्वारा आवेदन में मांगी गई ओस धरातल, भूदृश्य, खण्ड, वर्तमान भौतिक विषेशताएं, स्थान की सीमाएं, प्रवेश, दो या तीन ओर से बाधा, सेवा योजना, भवन योजना, खंड, ऊंचाई, भवन के अग्रभाग की डिजाइन, आंतरिक बदलावों का ब्यौरा, उपयुक्त आकार में नवीनतम छायाचित्र, आदि जैसी सुसंगत जानकारी उपलब्ध करवायी गई है या नहीं।
- (8) यदि उपनियम (7) में निर्दिष्ट स्थान योजना के ब्यौरे संलग्न नहीं पाये जाते हैं तो आवेदक को इस प्रकार के ब्यौरे के साथ आवेदन पत्र सात दिन के भीतर दोबारा जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा।
- (9) यदि प्रस्ताव में विशाल स्तर की परियोजना का अन्तर्वलित है तो सक्षम प्राधिकारी पुरावत्वीय प्रभाव के आकलन के लिए ऐसे विशेषज्ञ अथवा सलाहकार की नियुक्ति कर सकेगा जिसके पास पुरातत्व के क्षेत्र में दक्षता या अनुभव हो।
- (10) राक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार शहरी अध्ययन, शहरी संरक्षण, धरोहर संरक्षण, भूदृश्य अध्ययन, शहरी नियोजन, वास्तुकला अथवा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों से विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा।
- (11) विशेषज्ञों या सलाहकारों को सलाह के लिए ऐसे शुल्क और भतों का संपादन किया जाएगा जो भारत सरकार में समान स्तर के तकनीकी सलाहाकार के समतुल्य होगा।
- (12) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संरक्षित संरमारक या संरक्षित क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विरासत उपविधियों को ध्यान में रखते हुए आकलन करेगा।
- 10. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण को आवेदन पत्र का अग्रसारण : स्थल निरीक्षण और प्रभाव के आकलन का अध्ययन (जहां भी आवश्यक हो) तथा दस्तावेज तैयार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी संरक्षित संरमारक या संरक्षित क्षेत्र पर ऐसे निर्माण के प्रभाव के आकलन के साथ अपने विचार अभिलिखित कर सकेगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर संरक्षित संरमारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, पुनरुद्धार के लिए प्ररूप 2 के अनुसार आवेदन पत्र प्राधिकरण के पास अग्रसारित कर सकेगा।
- 11. प्राधिकरण की सिफारिशें : सक्षम अधिकारी के विशिष्ट विचारों या टिप्पणीयों के साथ प्राधिकरण नियम 6 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात प्रस्ताव की जांच करेगा और संरक्षित संस्मारक अथवा संरक्षित क्षेत्र के महत्व पर ऐसे निर्माण कार्य के प्रमाग समेत अपनी सिफारिशें भेजेगा।
- 12. सक्षम प्राधिकारी की ओर से आवेदक को सूचना : प्राधिकरण की सिफारिशें प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अविध के भीतर आवेदक को प्रारूप 3, 4 और 5 में

प्राधिकरण के द्वारा अनुमित प्रदान किये जाने या अनुमित नहीं दिये जाने के विषय में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा सूचित किया जायेगा।

- 13. नामजूरी की सूचना : प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित भवन या ढांचे की मरम्मत, नवीकरण, पुनर्निर्माण, निर्माण की अनुज्ञा की नामंजूरी के पूर्व सक्षम प्राधिकारी आवेदक को अपनी टिप्पणी और स्पष्टीकरण लिखित में प्रस्तुतं करने का अवसर प्रदान करेगा और सक्षम प्राधिकारी के संतुष्ट हो जाने पर आवेदन प्राप्त होने के बाद तीन मास की अविध के भीतर प्रारूप 5 में नामंजूरी की सूचना आवेदक तक पहुंचाएगा।
- 14. अपील:— (1) प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षित संरमारक और संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में भवनों या ढांचे की मरम्मत, नवीकरण, पुनर्निर्माण अथवा निर्माण की अनुमित की नामंजूरी से व्यथित कोई भी आवेदक अपने मामले पर विचार के लिए केंद्रीय सरकार से नामंजुरी की सूचना की तिथि से तीस दिनों के भीतर अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर केंद्रीय सरकार का निर्णय बाध्य होगा।
 - 2) केंद्रीय सरकार अपील पर विचार कर नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगी।
- 15. अपवादिक मामलों में अनुज्ञा प्रदान किया जाना : सक्षम प्राधिकारी प्राधिकरण की शिफारीसों पर अपवादिक मामलों में और विरासत उपविधियों को अंतिम रूप दिये जाने की स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति, अभिकरण, संस्था, सरकारी विभाग को मरम्मत, नवीकरण, निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुज्ञा दे सकेगा, जिसके स्वामित्वाधीन या कब्जे में ऐसा भवन या ढांचा अथवा भूमि है।
- 16. प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अनुज्ञा प्रदान करना : संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में अवस्थित किसी प्रकार के भवन या ढांचे का पुनर्निर्माण, सिन्निर्माण, मरम्मत और नवीकरण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकप, बाढ़, लगातार बारिश, आग, भूरखलन, चक्रवात और ऐसी किसी अन्य आपदाओं के कारण ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं; और मरम्मत के परे है और उसका तुरन्त पुनःस्थापन किया जाना आवश्यक है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे ऐसे वर्ग में समझा जाएगा जिसके क्षतिग्रस्त अथवा खंडित हुई सीमा तक भवन या ढांचे के संन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीकरण के लिए प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
- 17. अनुज्ञा की विधिमान्यता और पुनः विधिमान्यता : (1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् संरक्षित संरमारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र में यथास्थिति ऐसे भवन या ढांचे जो आवासीय, लोकोपयोगी, सार्वजनिक परियोजनाओं और औद्योगिक प्रकृति के है, के सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीकरण के लिए प्रदान की गई अनुज्ञा की मान्यता अनुज्ञा प्रदान करने की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए विधिमान्य रहेगी।

- 2) यदि आवेदक विभिन्न कारणों से तीन वर्ष की नियत अवधि के दौरान मरम्मत, नवीकरण, सिन्नर्माण या पुनर्निर्माण कराने में विफल रहता है तो आवेदक उस अनुज्ञा के पुनः विधिमान्यकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकेगा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा दो वर्ष की और अवधि के लिये प्रदान किया जा सकेगा।
- 18. अनुज्ञाओं का उल्लंघन: जहाँ सक्षम प्राधिकारी की, उसकी तात्विक साक्ष्य पर आधारित अनुज्ञा पर यह राय है कि आवेदक द्वारा उसके द्वारा दी गई अनुज्ञा का, शर्तानुसार अनुमोदित डिजाइन, ऊँचाई (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिक दोनों), चबूतरा क्षेत्र और ऐसे अन्य विनिर्देशों का मरम्मत, नवीकरण, निर्माण या पुनर्निर्माण करने के दौरान उल्लंघन किया गया है और उसका यह निष्कर्ष है कि ऐसे उल्लंघन से, यथास्थित संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के बचाव सुरक्षा या पहुँच को प्रमावित करने की संभावना है तो वह उसे मामले के अनुसार, इसको सिफारिश हेतु प्राधिकरण को भेज प्राधिकरण को उसके अनुमोदन के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और यदि ऐसा अनुमोदन किया जाता है तो प्रदान की गई अनुज्ञा को वापस लिया जा संकेगा।
- 19. अनुज्ञा की शर्तों के पालन में विफलता : ऐसे 'मामलों में जहां आवेदक अनुमोदित डिजाइन और विनिर्देशों का पालन करने में विफल रहता है और, यथास्थिति प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में मरम्मत, नवीकरण, निर्माण, या पुनःनिर्माण के लिए आवेदक को दी गई अनुज्ञा में अधिकथित निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करता है तो सक्षम प्राधिकारी अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक कार्यवाही आरंभ करेगा।
- 20. वेबसाइट पर सूचना की उपलब्धता : (1) सक्षम प्राधिकारी प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में मरम्मत, नवीकरण, निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए अनुज्ञा देने या नामंजुर करने के आदेशों की प्रतियां महानिदेशक, भारतीय पुरांतत्व सर्वेक्षण को भेजेगा जो समय—समय पर भारतीय पुरांतत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध करवाएगा।
 - (2) सक्षम प्राधिकारी भी अपनी वेबसाइट पर इसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- 21. स्थल विन्यास को तैयार करना : (1) महानिदेशक विशेषज्ञों और सलाहकारों की सहायता से पांच वर्ष की अवधि के भीतर पहली अनुसूची के अनुसार प्रत्येक संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र के सभी प्रतिषिद्ध क्षेत्रों, विनियमित क्षेत्रों की बाबत विस्तृत स्थल विन्यास तैयार करने के प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण करने का प्रयास करेंगे।
 - (2) संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन संबंधित राजस्व अधिकारी के परामर्श से राजस्व प्लॉट संख्याओं और उसकी अनुसूची को सम्यक रूप से मानिटर करके राजस्व मानचित्र के आधार पर किया जाएगा।
 - (3) संबंधित जिला कलेक्टर या जिला किमशनर, यथास्थिति संरक्षित संरमारक और संरक्षित क्षेत्र के सीमांकन और सीमा के सत्यापन के लिए महानिदेशक से अनुरोध प्राप्ति के तीस दिन से अनिधक की अवधि के भीतर व्यवस्था करेंगे।
 - (4) स्थल योजना, संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र की अधिसूचित संरक्षित सीमा, जिला कलेक्टर या जिला किमशनर द्वारा दिए गये सम्यक रूप से सत्यापित राजस्व अभिलेखों और राजस्व नक्शों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

- (5) संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र से अनुसंलग्न सरकारी भूमि की पहचान और उसका सीमांकन, सांस्कृतिक परिदृश्य या बुनियादी सुविधाएं के रूप में स्थल पर आगन्तुकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए किया जाएगा।
- (6) संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र से अनुसंलग्न भूमि जो बुनियादी सुविधाओं या आगंतुक सुविधा के विकास के लिए जरूरी है, की पहचान की जाए ।
- (7) संरक्षित संरमारक और संरक्षित क्षेत्र के मानचित्रण में रूपरेखाओं के दस्तावेज में अधिकतम 0.5 मीटर की अंतराल योजना, सब ओर उन्नयन और प्रत्येक क्षेत्र, संरचना, रास्ते, खुली जगह, वृक्ष उनकी विशेष जानकारी के साथ अन्य सुविधाओं जैसे, तटबंधों, तालाबों, धारा, किलेबंदी, प्राचीन संरचनाओं के अवशेष और गुफाओं और चट्टान आश्रयों की ऐसी विस्तृत सूची के साथ, जो वह ठीक समझे, संरक्षित क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य के भाग को सम्मिलत किया जाएगा।
- (8) विस्तृत स्थल योजना में खुली जगह में स्वामी, कब्जाधारी, पट्टेदार, बंधक के नाम और पते, राजस्व भूखंड संख्या और वर्ग मीटर में उसका क्षेत्र, क्षेत्र का वर्तमान उपयोग सम्मिलित किया जाएगा।
- (9) संरक्षित संरमारक या संरक्षित क्षेत्र के चारो ओर निर्माण कार्य का एक समग्र दृश्य देने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों से प्रत्येक संरचना की डिजिटलीकृत तस्वीरें और चलचित्र तथा साधारण परिदृश्य लिया जाएगा।
- 22. विरासत उप विधियों को विरचित करना : (1) सक्षम प्राधिकारी दूसरी अधिसूची के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास के परामर्श से प्रत्येक संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र की बाबत विरासत उपविधियां तैयार करेगा।
 - (2) सक्षम प्राधिकारी देश के ऐसे विरासत निकायों, विशेषज्ञों और परमर्शदाताओं की परामर्श से, जो इस प्रकार के परामर्श प्रदान करने में विशेषज्ञता रखते हों उपनियम (1) के अधीन उपविधियां तैयार करेगा।
 - (3) सक्षम प्राधिकारी अपने को विरासत निकायों, विशेषज्ञों और सलाहकारों को संबंधित क्षेत्रों में संलग्न करने के लिए अपना स्वयं का एक तंत्र विकसित करेगा।
 - (4) प्रत्येक संरक्षित संरमारक और संरक्षित क्षेत्र की बाबत विरासत उपविधियां नियम 21 के अधीन तैयार सुसंगत स्थल योजना के आधार पर विरचित की जाएगी।
 - (5) सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक संरक्षित संरमारक और संरक्षित क्षेत्र के संबंध में विरासत उपविधियों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में लिया गया है और इसे स्थल की योजना तैयार करने की तारीख से साठ दिनों की अविध के भीतर पूरा किया गया है।

- (6) विरासत उपविधियों में निर्माण सामग्री, अग्रभाग, पटाव, छत पैटर्न, रंग, ऊँचाई, निर्मित क्षेत्र, उपयोग, स्टिल्ट पार्किंग, भूमिगत निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, सड़कों और बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली के खंभे, पानी, गंदे पानी का निकास, खुदाई और इस तरह के अन्य कारक सम्मिलत किए जाएंगे जो संरक्षित संरमारकों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रतिषिद्ध क्षेत्रों और विनियमित क्षेत्रों के भीतर आवश्यक हो।
- (7) विरासत उपविधियों की तैयारी करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मापदंडों का पालन किया जाएगा।
- (8) प्रत्येक विरासत उपविधियों की एक प्रति प्राधिकरण के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
- (9) प्राधिकारण द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् प्रत्येक विरासत उपविधियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे जनसाधारण के लिए अपनी वेबसाइट पर उपलबध करवाया जाएगा।
- 23. दस्तावेजी केन्द्र : (1) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थल विन्यास और विरासत उपविधियों पर महानिदेशक, क्षेत्रीय निदेशक और मण्डल कार्यालयों में, दस्तावेजी केन्द्र या इकाइयां स्थापित करेगा।
 - (2) केंद्रीय दस्तावेजी केन्द्र, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यालय में स्थापित किया जाएगा जिसमें हितबद्ध व्यक्तियों की परामर्श और निर्देश के लिए उचित रूप से अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किये गए सभी संरक्षित संरमारकों और संरक्षित क्षेत्रों की बाबत के दस्तावेज, छायाचित्र, चलचित्र, फिल्म, कम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो दस्तावेजी, चित्र, सर्वेक्षण योजनायें, स्थल विन्यास और साइट के संबंध में नक्शे डिजिटल वीडियो के रूप में रखा जाएगा।
 - (3) क्षेत्रीय निदेशालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी संबंधित क्षेत्रों में क्षेत्रीय दस्तावेजी केन्द्र स्थापित करेंगे। जिसमें संरक्षित संस्मारकों, संरक्षित क्षेत्रों, प्रतिषिद्ध क्षेत्रों और विनियमित क्षेत्रों के स्थान विन्यास तथा विरासत उपविधियों की तैयारी सहित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी संग्रहित की जायेगी।
 - (4) उपविधियों को, नियमित रूप से अद्यतन के रूप में दर्ज, संग्रहित और डिजिटलीकरण किया जाएगा, साथ में डेटा पुनः प्राप्त करने के एक आसान तरीके के साथ, और जरूरत पड़ने पर और असाधारण मामलों में, 3डी और 360° आभासी सुविधाओं उपविधियों में निर्दिष्ट किया जाएगा। नियमित रूप से संशोधनों में प्रलेखित किया जाएगा, जिससे अनाधिकृत गतिविधियों, आकार गठन और परिवर्धन में परिवर्तन तुरंत पता चले।
- 24. वार्षिक रिपोर्ट : सक्षम प्राधिकारी पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और सभी क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए उसे केंद्रीय सरकार और प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष अप्रेल माह के 30 तारीख तक प्रस्तुत करेगा ।

(नियम 5 देखें)

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन घोषित किये गये राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित संस्मारक अथवा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत / नवीनीकरण कार्य करने तथा विनियमित क्षेत्र में संनिर्माण/पुनर्निर्माण/ मरम्मत/ नवीनीकरण करने की अनुमित के लिये आवेदन

- 1. आवेदक का नाम :
- 2. आवेदक का पता:
 - क) वर्तमान पता
 - ख) स्थायी पता
- 3. स्वामी (स्वामियों) के नाम : (यदि आवेदक स्वामी से भिन्न है)
- 4. रवामी (स्वामियों) का पता:
 - क) वर्तमानं पता
 - ख) स्थायी पता
- 5. क्या संपत्ति व्यक्तिक या संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन है (दस्तावेज प्रस्तुत करें)
- 6. क्या संपत्तिं का स्वामित्व सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निजी क्षेत्र के उपक्रम/फर्म के पास है (यदि ऐसा है, तो पूर्ण पते और टेलीफोन नम्बर के साथ विवरण प्रस्तुत करें)
- प्रस्तावित संनिर्माण का परिक्षेत्र :
 (प्लाट संख्या आदि के पूर्ण विवरण के साथ)
- 8. निकटतम संस्मारक या स्थल का नाम:
 - क) परिक्षेत्र
 - ख) तालुक
 - ग) जिला
 - घ) राज्य

(भरम्मत / नवीनीकरण / संनिर्माण / पुनर्निमाण के स्थल और संस्मारक को दर्शाने वाले क्षेत्र मानचित्र संलग्न करें)

- 9. संस्मारक की संरक्षित चाहरदीवारी से निर्माण संबंधी क्रियाकलापों क्रे स्थल की दूरी :
 - क) मुख्य संस्मारक से दूरी
 - ख) संस्मारक की संरक्षित चाहरदीवारी से दूरी
- प्रस्तावित संकर्म की प्रकृति : (मरम्मत / नवीनीकरण / संनिर्माण / पुनर्निर्माण आदि)
- 11. प्रस्तावित संकर्म के ब्योरे : (भवन / संरचना की ड्राइंग के साथ सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें)
 - क) मंजिलों की संख्या
 - ख) तल क्षेत्र (मंजिला-वार)
 - ग) ऊंचाई (मुम्टी, रेलिंग, जल संरक्षण टैंक को छोड़कर)
 - घ) ऊंचाई (मुम्टी, रेलिंग, जल संरक्षण टैंक को सम्मिलित करते हुये)
 - ड़) भूतल, यदि कोई प्रस्तावित हो तो ब्यौरे प्रस्तुत करें

(भवन योजना की स्वीकृति देने वाले प्राधिकरण की ओर से विधिवत रूप से स्वीकृत योजना, अनुभाग और मौजूदा भवन के उंचाई चित्र संलग्न करें। पुनर्निर्माण की स्थिति में खंड और उंचाई के साथ प्रस्तावित निर्माण योजना संलग्न करें। संनिर्माण / पुनर्निर्माण की स्थिति में प्रस्तावित भवन के निर्माण योजना, खंड एवं उंचाई संलग्न करें)

- प्रस्तावित संकर्म के उद्देश्य :(आवासीय, वाणिज्यिक/संस्थानिक/सार्वजनिक'/सामुदायिक)
- 13. प्रस्तावित संकर्म के प्रारंभ होने की अनुमानित तारीख:
- 14. प्रस्तावित कार्य के पूर्ण होने की अनुमानित अवधि :
- 15. निकट के क्षेत्र में विद्यमान आधुनिक भवनों की अधिकतम ऊंचाई:
 - क) संस्मारक के निकट:
 - ख) संनिर्माण संबंधी क्रियाकलापों के स्थल के पास :
- 16. क्या संस्मारक नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है:
- 17. शहर / नगर / ग्राम के लिये, विद्यमान संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कोई मास्टर प्लान / क्षेत्र विकास योजना / ले आउट योजना है
- 18. संरमारक तथा निर्माण / पुनर्निर्माण के प्रस्तावित स्थल के आसपास के दायरे में आधुनिक संनिर्माण की स्थिति :
- 19. संरक्षित सस्मारक / संरक्षित क्षेत्र के निकट खुली जगह / पार्क / हरित क्षेत्रः

- 20. क्या संस्मारक और निर्माण / पुनर्निर्माण के स्थल के बीच सड़क / सड़कें विद्यमान हैं :
- 21. अतिरिक्त जानकारी / टिप्पणी, यदि कोई हो तो

मैं......................घोषणा करता हूं कि उपरोक्त जानकारी सही है। मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 द्वारा यथासंशोधित प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों का पालन करूंगा।

स्थान :

फर्म की मोहर (यदि कोई हो)

तरीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण -

- यदि आवदेन संगठन / फर्म की ओर से दिया गया है तो संगठन / फर्म के प्रमुख का हस्ताक्षर होना चाहिये।
- 2. संरमारक और आधुनिक संनिर्माणों को दर्शाने वाले फोटोग्राफ संलग्न करें।
- संबंधित क्षेत्र के गूगल अर्थ की तस्वीरें संलग्न करें जिनमें संस्मारक और निर्माण संबंधी गतिविधियों के स्थल प्रदर्शित हों।
- सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित स्वामित्व संबंधी दस्तावेज संलग्न करें।
- मरम्मत / नवीनीकरण के मामले में आवेदक आवेदक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अनुज्ञाधिकारी वास्तुकार की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्ररूप 2 (नियम 10 देखें)

राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किये गये संरक्षित संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत/नवीनीकरण के लिए और विनियमित क्षेत्र में संनिर्माण/पुनर्निर्माण/मरम्मत/नवीनीकरण के हेतु स्वीकृति के लिए सिफारिश/अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को सक्षम अधिकारी की ओर से भेजे जाने वाले प्रस्ताव का अग्रसारण

- 1. आवेदक का नाम:
- 2. आवेदक का पता:
 - (क) वर्तमान :
 - (ख) स्थायी :
- 3. स्वामित्व की प्रास्थिति :
- 4. क्या सम्पत्ति चाहे व्यक्तिगत या संयुक्त रूप/सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रं के उपक्रम/निजी क्षेत्र के उपक्रम/फर्म के स्वामित्व में है।
- 5. प्रस्तावित संनिर्माण आदि के परिक्षेत्र :
- 6. निकटतम संरक्षित संरमारक या संरक्षित क्षेत्र के नाम :
 - (क) परिक्षेत्र :
 - (ख) जिला :
 - (ग) राज्य :
- 7. संरक्षित संस्मारक / संरक्षित क्षेत्र से दूरी : (दूरी सभी तरफ से दी जानी चाहिए)
- 8. प्रस्तावित संकर्म की प्रकृति : (मरम्मत / नवीनीकरण / संनिर्माण / पुनर्निमाण)
- 9. प्रस्तावित संकर्म का विवरण : (संकर्म की प्रकृति दिखाकर चित्र के साथ पूर्ण विवरण दें)
 - (क) मंजिलों की संख्या
 - (ख) तल क्षेत्र (मंजिला वार)
 - (ग) ऊंचाई (मम्टी, रेलिंग, पानी भंडारण के टैंक आदि को छोड़कर)
 - (ध) ऊंचाई (मम्टी, रेलिंग, पानी भंडारण के टैंक आदि के साथ)
 - (ड) तहखाने के विवरण, यदि प्रस्तावित हो तो

- प्रस्तावित संकर्म का उद्देश्य : (आवासीय / व्यावसायिक / संस्थागत / सार्वजनिक / सामुदायिक)
- 11. निकटतम इलाके में विद्यमान आधुनिक भवनों की अधिकतम ऊंचाई की प्रस्थिति :
 - (क) संस्मारक के पास:
 - (ख) निर्माण से संबंधित कार्यकलापों के निकट के स्थल
- 12. क्या संस्मारक नगर निगम/नगर/नगर पालिकाओं/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत/की सीमा के भीतर स्थित है :
- 13. किसी भी मास्टर प्लान/जोन विकास योजना को नगर/शहर/गांव के लिए संबंधित स्थानीय अधिकारियों ने विधिवत रूप से स्वीकृति दी है :
- 14. आवेदक के प्रवर्ग :
- स्थल के निरीक्षण की तारीख : (सक्षम प्राधिकारी या अन्य अनिहित अधिकारी के द्वारा)
- 16. स्थल निरीक्षण अधिकारी के नाम व पदनाम :
- 17. निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट : (फोटो, स्थल का हवाई दृश्य प्रस्तुत किया जाए)
- 18. विशेषज्ञों द्वारा निर्धारण रिपोर्ट, यदि कोई हो :
- सक्षम प्राधिकारी की विनिदिष्ट सिफारिशें : (प्रस्ताव के तीन सेट के साथ)

स्थान :

तरीखः

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

फा.सं. :

मुहर -

(नियम 12 देखें)

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन **राष्ट्रीय** महत्व के रूप में घोषित संरक्षित संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में अवस्थित भवन/संरचना की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य की करने की अनुमित प्रदान करने हेतु

जैसा कि	

जिला में	राज्यकेके
जापदम दिया है और प्राचीन संस्मारिक तथा पर	के लिये अनुमित के लिये जिये अनुमित के लिये जित्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और जिलन करने का वचन दिया है, मैं
सक्षम प्राधिकारी	राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के के नियमके उप नियमके अधीन
रंग से रेखांकित क्षेत्र में	क ।नयमक उप ।नयमक अधीन को यहां संलग्न योजना में लाल के लिये अनुमति देता
ह्य	
यह अनुमति अधिनियम और उसके अधीन निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए दी जाती है, 1.	बनाए गए उपबंधों के अधीन दी गयी है और यह , अर्थात् :
2.	
3.	
यह अनुमति हस्तांतरणीय नहीं है और यह तीन वर्ष की अवधि तक ही विधिमान्य रहेगी।	इसे आरंभ होने वाली
स्थान : तारीख : फाइल सं :	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुहर

(नियम 12 देखें)

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित संरक्षित संस्मारकों / पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के विनियमित क्षेत्र में संनिर्माण / पुनर्निर्माण / मरम्मत / नवीनीकरण के कार्य को करने की अनुमति

जैसा	कि	-
 ने	राज्य केके	प [,] जला में
	के	निकट अथवा पास में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में
	के लिये अन्	मित के लिये आवेदन दिया है और
प्राचीन	। संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनिय	पम, 1958 और उसके अधीन बनाए गए
	ं के उपबन्धों का पालन करने का वचन दिया है, मैं	
	सक्षम प्राधिकारी	
के अन्	नुमोदन/सिफ़ारिश के आधार पर उक्त नियमों के निय 	नके उप नियम)को यहां
संलग्न	। योजना में लाल रंग से रेखांकित क्षेत्र में	के लिये अनुमति देता हूं।
है और	र यह निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए दी जाती 1. 2: 3.	है, अर्थात् :
तीन द	यह अनुमति हस्तांतरणीय नहीं है और यह पर्ष की अवधि तक विधिमान्य रहेगी।	तारीखसे प्रारंभ होने वाले
स्थान	· :	सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर
तरीख	:	मुहर
फाइल	सं:	

(नियम 12 और 13 देखें)

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित संरक्षित संस्मारकों / पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के विनियमित संरक्षित क्षेत्र में संनिर्माण / पुर्निर्निर्माण / मरम्मत / नवीनीकरण के कार्य को करने की अनुमित की नामंजूरी

प्रति,	
फाइल स	तारीख
•	
महोदय / महोदया,	
है कि	के संदर्भ में आपको सूचित करना में ब्लॉक संख्या प्लाट संख्या में संरक्षित संस्मारकों / पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ा/पुनर्निर्माण/ मरम्मत/नवीनीकरण के कार्य को करने की आधार पर अनुमति देने से इंकार किया जाता है।
1	
2.	
3.	
4.	
स्थान :	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तरीख:	मुहर

पहली अनुसूची

(नियम 21(1) देखें)

स्थल योजना तैयार करने के मानदंड

सरिक्षत क्षेत्र, प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्रों के लिये स्थल विन्यास तैयार करने के दौरान निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा और उन्हें सम्मिलित किया जाएगा।

क) संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित संस्मारक, प्रतिषिद्ध क्षेत्र अथवा विनियमित क्षेत्र

मानदंड

- पिरेखा (एक मीटर अंतराल) अधिमानित है। तथापि यह वहां की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि यह चट्टानों वाला पहाड़ी क्षेत्र है, तब पिरेखा अंतराल को बढ़ाया जा सकता है। यदि यह सपाट क्षेत्र है तो इसे 0.5 मीटर तक कम किया जा सकता है;
- 2. जमीन और मानचित्र पर निशान और सर्वेक्षण अंक दर्ज करें
- 3. संरक्षित क्षेत्र का मानचित्रण इस तरह से होना चाहिये कि क्षेत्र में पड़ने वाली सभी परिसम्पत्तियों और विशिष्टताओं को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। अतः मानचित्र और जमीन दोनों पर क्षेत्र की ग्रिडिंग की जानी चाहिये। ग्रिड 50 गुणा 50 मीटर हो सकते हैं
- प्लान पर संरचनाओं का मानचित्रण;
- 5. टैंक, तटबंध, मिट्टी के दुर्ग, प्राचीन संरचनाओं के **अवशेषों** आदि अन्य विशिष्टताओं को दिखाया जाना चाहिये;
- 6. सडक और रास्ते:
- 7. बागवानी क्षेत्र,
- 8. वृक्ष (सूची के साथ पेड़ के प्रकार, परिधि और ऊंचाई).
- 9. टेलीफोन लाइनें;
- 10. सीवरेज लाइनें,
- 11. जल आपूर्ति लाइने आदि
- 12. कुछ क्षेत्रों के कोंट्युरिंग / तुलनात्मक ऊंचाई;
- 13. दबे हुये पुरातत्वीय अवशेषों को निर्धारित करने के लिये जमीन को भेद कर होने वाले राडार सर्वेक्षण:
- 14. कोई अन्य लक्ष्ण जिनका सक्षम प्राधिकारी की परामर्श के आधार पर सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है।

दूसरी अनुसूची

(नियम 22 देखें)

विरासत उप विधियों के लिये मानदंड:

संरक्षित संस्मारकों के प्रत्येक प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के लिये स्थल विन्यास तैयार करते समय निम्नलिखित मानदंडों का समावेश एवं पालन किया जाएगें अर्थात् —

- 1. संस्मारक के वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातत्वीय मूल्य,
- 2. संरमारक की संवेदनशीलता (उदाहरण के तौर पर विकास संबंधी दवाब, शहरीकरण जनसंख्या दवाब आदि).
- 3. संरक्षित संस्मारक अथवा क्षेत्र से दृश्यता तथा विनियमित क्षेत्र से दृश्यता
- 4. पहचान किये जाने वाले भूमि-उपयोगः
- 5. संरक्षित संस्मारक (संस्मारकों) के भिन्न पुरातत्वीय विरासत **अवशेष**
- 6. सांस्कृतिक परिदृश्यः
- 7. सांस्कृतिक परिदृश्य के निर्माण करने वाले तथा संस्मारकों को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में मददगार होने वाले उल्लेखनीय प्राकृतिक परिदृश्य,
- 8. खुली जगह और निर्माणों के उपयोग:
- 9. परम्परागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप,
- 10. विनियमित क्षेत्र से और संस्मारक से दिखने वाले क्षितिज,
- 11. स्थानीय भाषाई वास्तुकला.
- 12. रथानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये विकास संबंधी योजनाएं
- 13. भवन संबंधी मानदंड
 - क) संनिर्माण की ऊंचाई;
 - ख) तल क्षेत्र;
 - ग) उपयोगः
 - घ) अग्र डिजाइन;
 - ड) छत डिजाइन;
 - च) भवन सामग्री,
 - छ) रगः
- 14. आगंतुकों के लिये सुख और सुविधायें

[फा. सं. 1/8/2010-एम(भाग-IIIआर] गौतम सेनगुप्ता, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2011

GS.R. 636(E)—Whereas draft Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other Functions of the Competent Authority) Rules, 2011 were published vide Notification of the Government of India, Ministry of Culture, Archaeological Survey of India number G.S.R. 86 (E) dated the 11th February, 2011 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) as required by subsection (1) of section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the said Gazette Notification are made available to the public;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on 18th February, 2011;

And whereas, the objections received before the due date have been duly considered and disposed of by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (cb), (cc), (cd) and (ce) of sub-section (2) of section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules; namely: -

- 1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Byelaws and Other Functions of the Competent Authority) Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions:- In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);
 - (b) "competent authority" means the competent authority notified by the Central Government under sub-section (db) of section 2 of the Act;

- (c) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under section 20F of the Act;
- (d) "Form" means the form annexed to these rules;
- (e) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
- 3. Appointment of supporting staff: The Central Government may provide supporting, technical and administrative staff as required, for the proper and efficient functioning of each office of the competent authority.
- 4. Functions of the competent authority:- (1) The competent authority shall receive and process applications received for repair, renovation, construction and reconstruction in the regulated and prohibited area of protected monuments and protected areas, and forward the same to the Authority for its approval.
- (2) The competent authority shall obtain archaeological assessment reports, survey or inspection reports connected with grant of permissions related to major development projects, public project, project essential to public in the context of conveying its recommendations to the Authority.
- (3) The competent authority shall formulate time bound programmes for preparation of detailed site plans for regulated and prohibited area, protected monument and protected area.
- (4) The competent authority shall formulate time bound programme for preparation of heritage bye-laws for prohibited area or regulated area of each protected monument and protected area.
- (5) The protected monuments under different categories to be identified by the Authority shall be clubbed by the competent authority on the basis of location, architectural style, comparative analysis, attributes and value and such other features to enable time bound completion of heritage by elaws.
- (6) The competent authority shall develop a website to host information related to construction, reconstruction, repair, renovation, bye-laws, detailed site plans, awareness, capacity building and to publish its activities.
- (7) The competent authority shall have regular interaction with the Authority to accomplish above mentioned tasks.
- (8) The competent authority shall maintain a database and registers with regard to applications received for repair, renovation, construction, reconstruction, permissions granted, refused, permissions revalidated, site plans and heritage bye-laws.
- 5. Receipts of applications for grant of permissions:- The competent authority shall receive five sets of duly completed applications as per Form I at least three months before the commencement of the proposed work and process them with due care for the grant of permission for repair, renovation, construction or reconstruction in the prohibited or regulated area of each protected monument and protected area, as the case may be.

- 6. Processing of applications under various categories:-The competent authority shall consider processing of the applications so received under the following categories, namely:-
 - I. Large scale development projects involving construction proposed by the State Government or the Central Government, public sector, private bodies or any person, such as multi-purpose dams, hydro-electric projects, townships, industrial plants, airports or such other projects.
 - II. Public utility projects involving construction by the State Government or the Central Government, private-public sector, such as roads, highways, pathways, drains, sewage lines, water tank/lines (both above the ground and under ground), transportation, metro railways (above and underground), bus station, etc. or such other projects.

Provided that the public works shall not include maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or, the construction and maintenance of works meant for providing supply of water for public, or construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities to the public.

- III. Construction of public amenities to be provided by State Government, the Central Government, non-Governmental organizations, public sector undertakings, local bodies or private bodies or any person, such as, drinking water facility, toilets, kiosks, facilities for physically challenged, publication counter, souvenir shops, ticket booths, information counters, visitor facilitation centres, parking facilities for various types of vehicles or generator rooms.
- IV. Re-construction of residential buildings or structures in the land owned by any person, office building or structure owned by private, public sectors, the State Government or the Central Government or any other agency located in the regulated area.
- V. Construction of residential buildings or structures in the land owned by any person, the State Government or the Central Government or any other agency located in the regulated area.
- VI. Repair or renovation of residential building or structure located in the prohibited area owned by any person, private sector, public sector, the State Government or the Central Government built prior to 16th June, 1992 or subsequently constructed with the approval of Director General, Archaeological Survey of India on the basis of the recommendation of the expert advisory committee; or
- VII. Repair or renovation of any building or structure located in the land owned by the applicant in the regulated area.

- 7. Category of application to be forwarded to Authority: The competent authority shall forward the applications received under category I, II, III, IV and V specified in rule 6, to the Authority after processing them with its recommendation.
- 8. Category of applications to be processed and cleared by the competent authority under intimation to Authority:- (1) The applications received under category VI of rule 6 in the prohibited area, involving minor repairs, such as filling up of or grouting cracks, re-plastering of certain portions of the building or structure, repairs to water tanks or drainage, sewerage lines, underpinning to strengthen the foundation, replacement of windows, doors, relaying of flooring, water-tightening the roof, providing weather proof course to stop leakage, replacement of electrical poles, laying or alter water pipe lines, preventing breach of water tanks, replacement of or strengthening of staircase, provide coat of whitewash or colour wash or painting of walls of the building or structure or similar such works may be examined and grant permission at his end under intimation to the Authority.
- (2) The applications received under category VII of rule 6 for the renovation and repair of building or structure located in the regulated area may be processed and permission granted by the competent authority under intimation to the Authority.
- 9. Stages of processing of applications by competent authority:-(1) The competent authority after receipt of applications under specified categories, shall take immediate follow up action by issuing an acknowledgement from its office.
- (2) The applications shall be examined in detail by the competent authority, which may determine the impact of proposed construction on the protected monument and protected area by adopting appropriate study or methods including site inspection and submit its observations in writing within a period of seven days.
- (3) The applicant, if necessary, may be informed about site visit by the competent authority or its representative in advance.
- (4) The distance between the protected monument or protected area and the proposed location of the building or structure or land referred to in the application for repair, renovation, construction or reconstruction, shall be measured by the inspecting official with the help of land survey officials or any other technical official in the presence of applicant and record the distance mentioned in the application.
- (5) The inspecting official shall make a reference to the notified boundary while recording the distance of the protected monument or protected area, as the case may be.
- (6) The detailed photos exhibiting earth aerial view with appropriate marking may be enclosed along with inspection report.
- (7) The competent authority may examine whether the relevant information sought in the application form has been provided by the applicant viz. site plan showing hard surface, landscape, sections, existing physical features, boundaries of the site, access, set backs on two or three sides, service plan, building plan including section, elevation, façade design, details of internal modifications, recent photographs in suitable size, showing the environs.

- (8) If the details of the site plan referred to in sub-rule (7) is not found enclosed, the applicant shall be intimated to resubmit the application along with such details within a period of seven days.
- (9) The competent authority may appoint an expert or consultant who is skilled and experienced in the field of archaeology for archaeological impact assessment, if the proposal involves large scale project.
- (10) The competent authority may, depending upon the requirement in specific areas, appoint experts from the field of urban studies, urban conservation, heritage conservation, landscape studies, town planning, architecture or such other fields.
- (11) The experts and consultants shall be paid such consultation fees and allowances as are admissible to the technical consultants of equivalent level in the Government of India.
- (12) The assessment by the competent authority shall be carried out keeping in view the heritage bye-laws proposed for each protected monument or protected area.
- 10. Forwarding of application by competent authority to Authority: After site inspection and impact assessment study (wherever necessary) and documentation, the competent authority may record its observations including assessment of impact of such construction on protected monuments or protected area and forward the application, within a period of fifteen days from the date of receipt of application, to the Authority as per Form II, for construction, reconstruction, repair, renovation, as the case may be, in the prohibited or regulated area of the protected monument or protected area.
- 11. Recommendations of the Authority: The Authority after receipt of applications under any category specified in rule 6 with specific observations or comments of the competent authority, shall examine the proposal and convey its recommendation including the impact of such construction on the significance of the protected monument or protected area.
- 12. Intimation from competent authority to applicant: Within a period of one month after the receipt of recommendation of the Authority, the applicant shall be informed by the competent authority about the grant or refusal of permission as so recommended by the Authority in Form III, IV and V, as the case may be.
- 13. Communication of refusal: The competent authority before refusing the permission for repair, renovation, reconstruction, construction of building or structure in the prohibited or regulated area of the protected monument or protected area, on the grounds recommended by the Authority, shall give an opportunity in writing to the applicant to submit or offer his comments and clarifications and the competent authority shall, on being satisfied, convey the refusal in Form V to the applicant within a period of three months from the date of receipt of the application.
- 14. Appeal: (1) Any applicant aggrieved by the refusal of permission for repair, renovation, construction or reconstruction of building or structure in prohibited or regulated area of the protected monument and protected area by the competent Authority on the basis of recommendation of the Authority, may within a period of 30 days, from the date of the communication of such refusal, prefer an appeal to the Central

Government for considering his case and the decision of the Central Government on such appeal shall be binding.

- (2) The Central Government shall consider the appeal and dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of receipt of appeal.
- 15. Granting permission in exceptional cases: The competent authority may, in exceptional cases and pending the finalisation of the heritage bye-laws, grant permission for repair, renovation, construction or reconstruction to any person, agency, institution, Government departments, who owns or possess such building or structure or land with the approval of the Authority.
- 16. Grant of permission during natural calamities: The reconstruction, construction, repair and renovation of any type of building or structure, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, such as, earthquakes, flood, incessant rain, fire, landslide, cyclone and such other calamities, located in the prohibited or regulated area of the protected monument or protected area and need immediate restoration, shall be considered as a category by the competent authority which may not require the approval of the Authority for construction, reconstruction, repair and renovation of the building or structure to the extent damaged or destroyed.
- 17. Validity and Revalidation of permission: (1) Permission granted by the competent authority after the approval of the Authority for construction, reconstruction, repair and renovation of building or structure as the case may be, in the prohibited area or regulated area of protected monument or protected area, which is of residential, public utility, public projects and industrial in nature, shall be valid for a period of three years from the date of grant of permission.
- (2) If the applicant for any reason fails to carry out repair, renovation, construction or reconstruction during the period specified in the permission, he may approach the competent authority for revalidation of the same, which may be granted for any period not exceeding two years by the competent authority.
- 18. Violation of permissions: Where the competent authority, based on material evidence in its possession, is of the opinion that permission granted by it has been violated by the applicant while carrying out repair, renovation, construction or reconstruction in terms of approved designs, height (both vertical and horizontal), plinth area and such other specifications and finds that such violation is likely to affect the preservation, safety, security or access to protected monument or protected area, as the case may be, it may refer the same to the Authority for its recommendations and if so recommended, withdraw the permission granted.
- 19. Failure to comply with conditions of permission: In matters where the applicant fails to comply with approved design and specifications and violates terms and conditions laid down in the permission conveyed to the applicant for repair, renovation, construction, or re-construction of building or structure located in the prohibited or regulated area, as the case may be, the competent authority shall initiate legal action, under the provisions of the Act.

- 20. Hosting of information on website: (1) The competent authority shall send copies of orders granting or refusing permission for repair, renovation, construction or reconstruction in the prohibited and regulated area, to the Director General, Archaeological Survey of India, who shall host information on permission granted or refused on the website of Archaeological Survey of India from time to time.
- (2) The competent Authority shall also host similar information on its website.
- 21. Preparation of Site Plan: (1) The Director-General, shall make endeavour within a period of five years to cause a survey to be conducted in respect of all prohibited areas, regulated areas of each protected monument and protected area for the purpose of preparing detailed site plans as per the First Schedule with the help of experts and consultants.
- (2) The demarcation of the protected monument and protected area shall be undertaken in consultation with concerned revenue officer on the basis of revenue map duly mentioning revenue plot numbers and schedule thereto.
- (3) The District Collector or District Commissioner, as the case may be, shall arrange for demarcation and verification of the limits of the protected monument and protected area, as the case may be, within a period of thirty days of the receipt of request from the Director-General.
- (4) The site plan shall be prepared following the notified protected limit of the protected monument or the protected area, the duly authenticated revenue records and the revenue map furnished by the District Collector or District Commissioner as the case may be.
- (5) The identification and demarcation of Government land appurtenant to the protected monument and protected area shall be taken as part of cultural landscape or for providing infrastructural facilities to enhance the number of visitors at the site.
- (6) The identification of land appurtenant to the protected monument and protected area which is necessary for the development of infrastructure or visitor's facility may be identified.
- (7) The mapping of protected monument and protected area shall comprise recording of contours, preferably at 0.5 metre intervals, plan, all side elevations and section of each structure, pathways, landscaped area, open spaces, trees with detailed inventory, other features like tank, well, embankments, fortifications, remnants of ancient structures and such other features including caves and rock-shelters as may be deemed fit that form part of cultural landscape of the protected area.
- (8) The open space in the detailed site plan shall comprise of the name of owner, possessor, lessee, mortgage and address, area in square meter, revenue plot number and present usage of area.
- (9) The digital still and video photographs of each structure or building and general view of the area from different spots with a view to give an overall idea of the constructions around the protected monument or protected area shall be taken.

- 22. Framing of heritage bye-laws: (1) The competent authority shall, in consultation with the Indian National Trust for Arts and Cultural Heritage prepare heritage bye-laws in respect of prohibited area or regulated area of each protected monument and protected area as per the Second Schedule.
- (2) The competent authority shall prepare bye-laws under sub-rule (1) in consultation with heritage bodies, experts and consultants in the country, who have expertise in rendering such consultancy.
- (3) The competent authority shall evolve his own mechanism to engage heritage bodies, experts and consultants for preparation of bye-laws in the respective regions.
- (4) The heritage bye-laws in respect of each protected monument and protected area shall be framed on the basis of the relevant site plan prepared under rule 21.
- (5) The competent authority shall ensure that heritage bye-laws in respect of each protected monument and protected area is taken up as a time bound programme and completed within a period of sixty days from the date of preparation of the site plans.
- (6) The heritage bye-laws shall include use of building material, façade, roofing pattern, colour, height, built-up area, usage, stilt parking, underground construction, drainage systems, roads and service infrastructure like electric poles, water, sewerage, excavations and such other factors which may be necessary within the prohibited areas and regulated areas of the protected monuments and protected areas.
- (7) While preparing the heritage bye-laws, the parameters specified in the Second Schedule shall be followed by the competent authority.
- (8) A copy of each heritage bye-laws shall be placed before the Authority for its approval.
- (9) Each heritage bye-law shall after the approval by the Authority be made available by the competent authority to the public on its website.
- 23. Documentation Centres: (1) The Archaeological Survey of India shall set-up documentation centres or units in the offices of the Director General, Regional Directors and in Circles, on site plans and heritage bye-laws.
- (2) A central documentation centre shall be established in the office of the Director General, Archaeological Survey of India, wherein documents, photographs, video graphs, films, compact discs, digital video documentation, drawings, survey plans, site plans and maps in respect of all protected monuments and protected areas and their respective prohibited and regulated areas, declared as of national importance under the Act shall be properly housed for consultation and reference by the interested persons.
- (3) The Regional Directorates of the Archaeological Survey of India shall also establish regional documentation centres for storing information of various activities including preparation of site plan and heritage bye-laws of protected monuments, protected areas, prohibited and regulated areas in the respective regions.
- (4) The bye-laws shall be recorded, digitised and stored and updated regularly with an easy mode to retrieve the data as and when required and in exceptional cases, features

referred in the bye-laws shall be documented in 3D and 360° virtual so that modifications, unauthorised activities, alterations and additions in the physical setting are detected immediately.

24. Annual Report: The competent authority shall prepare an annual report and submit it to the Central Government and the Authority by the 30th day of April every year giving full description of all the activities for the previous year.

Form I (See rule 5)

Application for grant of permission for undertaking repair / renovation in the prohibited area and construction / reconstruction / repair / renovation in the regulated area of protected monument or archaeological site and remains declared as of national importance under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958

- 1. Name of the applicant:
- 2. Address of the applicant:
 - (a) Present
 - (b) Permanent
- 3. Name of the owner(s) : (if the applicant is other than the owner)
- 4. Address of the owner(s):
 - (a) Present address
 - (b) Permanent address
- 5. Whether the property is owned by individual or jointly (furnish documents)
- 6. Whether the property is owned by Government/Public Sector Undertaking/Private Sector Undertaking/Firm (if so, details to be furnished with complete address and phone numbers):
- 7. Locality of the proposed construction: (with full details plot number, etc.)
- 8. Name of the nearest monument or site:
 - (a) Locality:
 - (b) Taluk
 - (c) District
 - (d) State

(Enclose area map showing the monument and the site of repair / renovation / construction / reconstruction)

- 9. Distance of the site of construction related activities from the protected boundary of the monument:
- (a) Distance from the main monument:

- (b) Distance from the protected boundary wall of the monument:
- 10. Nature of the work proposed: (Repair/renovation/construction/reconstruction, etc.)
- 11. Details of work proposed (furnish complete details with drawings of building / structure)
 - (i) Number of storeys
 - (ii) Floor area (storey-wise)
 - (iii) Height (excluding mumty, parapet, water-storage tank, etc.)
 - (iv) Height (including mumty, parapet, water-storage tank, etc.)
 - (v) basement, if any proposed with details

(Enclose plan, section and elevation drawings of the existing building duly approved by the Building Plan Sanctioning Authority and proposed building plan with section and elevation in case of reconstruction. Enclose building plan, section and elevation of the proposed building in case of construction/reconstruction.)

- 12. Purpose of the proposed work : (residential/commercial/institutional/public/community)
- Approximate date of the commencement of the proposed works:
- 14 Approximate duration for completion of the proposed work:
- 15. Maximum height of the existing modern buildings in the close vicinity of -
 - (a) near the Monument:
 - (b) near the site of construction related activity:
- Whether the monument is located within the limits of Municipal Corporation / Municipalities/ Nagar Panchayat / Village Panchayat
- 17. Does any Master Plan/zonal development plan/layout plan approved by concerned local authorities exists for the city / town / village:
- 18. Status of modern constructions in the vicinity of the monument and the proposed site of construction/reconstruction:

19.	Open space/park/green area close to the protected monument / protected area:
20.	Whether any road(s) exists between the monument and the site of construction/reconstruction:
21.	Remarks/additional information, if any:
Mor And	rmation is correct. I also undertake to observe the provisions of the Ancient numents and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 as amended by the, the sient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment and Validation), 2010 and the rules made there under.
-	
Plac	ce:
	Seal of firm (if any)
Ďat	e: Signature of the applicant

Note:

- 1. If the application is on the behalf of the organisation/firm, the signature should be of the head of that organisation/firm.
- 2. Enclose photographs showing the monument and the existing modern constructions.
- 3. Google Earth Images of the area under reference showing the monument and the site of construction related activities.
- 4. Enclose ownership documents duly attested by an authorized officer of the Government.
- 5. In case of repairs/renovation a report from a duly authorised/licenced architect to be submitted by the applicant.

Form II (See rule 10)

Forwarding of proposal from competent authority to the Authority for recommendation / approval for grant of permission for undertaking repairs/renovation in the prohibited area and construction / reconstruction / repairs / renovation in the regulated area of an protected monument or archaeological site and remains declared as of national importance

- 1. Name of the applicant:
- 2. Address of the applicant:
 - (a) Present
 - (b) Permanent
- 3. Status of the ownership:
- Whether the property is owned by individual or jointly / Government / Public Sector Undertaking / Private Sector Undertaking / Firm
- 5. Locality of the proposed construction, etc.:
- 6. Name of the nearest protected monument or protected area:
 - (a) Locality:
 - (b) District:
 - (c) State
- 7. Distance from the protected monument/protected area: (distance should be given from all sides)
- 8. Nature of the work proposed: (repair/renovation/construction/reconstruction)
- 9. Details of work proposed:

(furnish complete details with drawings showing the nature of work)

- (i) Number of stories
- (ii) Floor area (storey-wise)
- (iii) Height (excluding mumty, parapet, water-storage tank, etc.)
- (iv) Height (including mumty, parapet, water-storage tank, etc.)
- (v) Basement, if any proposed with details
- 10. Purpose of the proposed work : (residential/commercial/institutional/public/community)

- 11. Status of maximum height of the existing modern buildings in the close vicinity of:
 - (a) near the Monument:
 - (b) near the site of construction related activity:
- 12. Whether the monument is located within the limits of Municipal Corporation / Municipalities / Nagar Panchayat/Village Panchayat:
- Does any Master Plan/zonal development plan duly approved by the respective local authorities exists for the city/town/village:
- 14. Category of the Application:
- 15. Date of inspection of the site: (by the Competent Authority or other designated officer)
- 16. Name & Designation of the site inspecting official:
- 17. Report of the inspecting official: (Photographs, aerial view of the site to be submitted)
- 18. Assessment reports by Experts, if any:
- 19. Specific recommendations of Competent Authority: (with three sets of the proposal)

Place:

Date:

Signature of the Competent Authority

F.No.

SEAL

Form III (See rule 12)

Grant of permission for undertaking repairs and renovation of building / structure located in the prohibited area of the protected monument or archaeological site and remains declared as of national importance under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
of	has applied for permission
for	in the prohibited area near or adjoining
District	State and has
and Remains Act, 1958 (24 c	the Ancient Monuments and Archaeological Sites of 1958) and rules made there-under, I,, competent authority, do
hereby grant this permission on the bas Monument Authority, under sub rule (.	sis of the approval/recommendation of the National) of rule of the said rules to the said for
in the hereto.	area indicated in red outline on the plan attached
The permission is granted subject further subject to the following conditions:	t to the provision of the Act and the Rules and is
1. 2.	
3.	
The permission is not transfera commencing withday of	able and it shall be valid for a period of three years
Station:	Signature of the Competent Authority
Date: F.No.	SEAL

Form IV (See rule 12)

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

Grant of permission for undertaking construction /reconstruction / repair/ renovation in the regulated area of protected monument or archaeological site and remains declared as of national importance under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958

for permission	, of n for	has applied in the regulated area near or adjoining
Districtto observe the Remains Act,	provision of the Ancien 1958 (24 of 1958) and r	ate and has undertake t Monuments and Archaeological Sites and ules made there under, I,
on the basis of sub-rule ()	f the approval/recomment of ruleof the said in	ompetent authority, do hereby grant this permission adation of the National Monument Authority, underules to the said(name of the applicant)
in red outline	on the plan attached here	in the area indicated eto.
The perr further subjec	nission is granted subjec t to the following conditi	t to the provision of the Act and the Rules and is ons, namely:
1.		
2. 3.		
The pe commencing v	rmission is not transferal vith day of	ble and it shall be valid for a period of three years
	w.	
Station: Date:		Signature of the competent authority
F.No.		SEAL

Form V

(See rule 12 and 13)

Refusal of permission for undertaking construction / reconstruction / repair / renovation in the regulated area / prohibited area of protected monument or archaeological site and remains declared as of national importance under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958

То	·
••••••	
File No:	Dated :
Sir/Madam,	
permission for the construction/ reconstructed area of protected monument / archaeologic plot noblock no	olication nodatedfor the grant of ruction / repair / renovation in the prohibited / regulated cal site and remains declared as of national importance, situated at
1. 2. 3. 4.	
Station : Date :	Signature of the Competent Authority
	SEAL

THE FIRST SCHEDULE [see rule 21 (1)]

Parameters for Preparation of Site Plan

While preparing a site plan for the protected area, the prohibited and regulated areas, the following parameters shall be adhered to and incorporated.

(a) Protected Area, protected monument, prohibited area or regulated area

Parameters:

- (i) Contouring (1 metre interval) is preferably. However, it can vary depending on the nature of landscape. If it is hilly terrain with cliffs, then contour intervals can be increased. If the landscape is plain, then it can be reduced to 0.5 metre;
- (ii) Fixing of Bench mark and survey points on the ground and map;
- (iii) Protected area needs to be mapped in such a manner that property and feature within the area can easily be identified. Therefore the area shall be required to be grided both on map and ground. Grids can be of 50 x 50 metres;
- (iv) Mapping of structures on plan;
- (v) Other features like tank, embankment, mud fortification, remnants of ancient structures etc should be shown;
- (vi) Roads and pathways;
- (vii) Garden area;
- (vii) Trees (with an inventory tree type, girth and height);
- (ix) Telephone Lines
- (x) Sewerage Lines
- (xi) Water supply lines, etc.
- (xii) Contouring / Relative heights of certain areas
- (xiii) Ground Penetrating Radar survey determining the buried archaeological remains.
- (xiv) Any other feature that is required to be incorporated in consultation with the competent authority;

THE SECOND SCHEDULE

[See rule 22]

Parameters for Heritage Bye-laws:

The heritage bye-laws shall be framed on the basis of the site plan prepared for each of the prohibited and regulated areas of protected monuments and the following parameters, namely –

- (i) Architectural, historical and archaeological value of the monument;
- (ii) Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure, etc);
- (iii) Visibility from the protected monument or area and visibility from regulated area;
- (iv) Land-use to be identified;
- (v) Archaeological heritage remains other than protected monument(s);
- (vi) Cultural landscapes;
- (vii) Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting the monument from environmental pollution;
- (viii) Usage of open space and constructions;
- (ix) Traditional, historical and cultural activities;
- (x) Skyline as visible from the monument and from regulated areas;
- (xi) Vernacular architecture;
- (xii) Developmental plan as available by the local authorities;
- (xiii) Building related parameters-
 - (a) Height of the construction;
 - (b) Floor area;
 - (c) Usage;
 - (d) Façade design;
 - (e) Roof design;
 - (f) Building material;
 - (g) Colour;
- (xiv) Visitors facilities and amenities.

[F. No. 1/8/2010-M (Pt.-III R] GAUTAM SENGUPTA, Director General